सं.1/7/2017-पी&पीडब्ल्यू(एफ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

****

तृतीय तल, लोक नायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 28 जुलाई, 2020

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: वर्ष 2006 से पूर्व के निःशक्त पेंशनभोगी, जिन्हें 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने से पूर्व सरकारी सेवा के कारण किसी क्षति/निःशक्तता होने पर चिकित्सीय निःशक्तता के आधार पर सेवानिवृत्त(बोर्ड आउट) किया गया, को निःशक्तता पेंशन की देयता, जिसमें सेवा घटक और निःशक्तता घटक शामिल हैं - से संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन), नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत कवर किए गए नि:शक्त सरकारी कर्मचारियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने निःशक्तता पेंशन के सेवा घटक के अर्जन के लिए न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता को दिनांक 01.01.2006 से हटाने का निर्णय लिया था और दिनांक 10 दिसंबर, 2010 के का॰ज्ञा॰ सं.33/5/2009/पी&पीडब्ल्यू(एफ) के तहत आदेश जारी किए गए थे।

2. यह संदेह व्यक्त किया गया है कि क्या दिनांक 10.12.2010 के उपर्युक्त का॰ज्ञा के प्रावधान ऐसे सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे जिन्हें 10 वर्ष से कम की अर्हक सेवा के साथ, सरकारी सेवा से दिनांक 01.01.2006 से पूर्व, चिकित्सीय निःशक्तता के आधार पर सेवानिवृत्त(बोर्ड आउट) किया गया था।

3. इस मामले की जांच की गयी है और यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे केन्द्रीय सिविल कर्मचारी जिन्हें 10 वर्ष से कम की अर्हक सेवा के साथ, सरकारी सेवा से दिनांक 01.01.2006 से पूर्व, चिकित्सीय निःशक्तता के आधार पर सेवानिवृत्त(बोर्ड आउट) किया गया था और जो निःशक्तता पेंशन का केवल निःशक्तता घटक प्राप्त कर रहे थे, वे दिनांक 01.01.2006 से निःशक्तता घटक के अतिरिक्त निःशक्तता पेंशन के सेवा घटक को भी पाने के पात्र होंगे।

4. दिनांक 01.01.2006 से निःशक्तता पेंशन की संगणना हेतु, निःशक्तता पेंशन, जिसमें निःशक्तता घटक और सेवा घटक दोनों शामिल हैं, को बोर्ड आउट की तारीख से नोशनल आधार पर नियत किया जाएगा और इसे निःशक्तता पेंशन के संशोधन के लिए समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार, नोशनल आधार पर संशोधित किया जाएगा। **<u>ऐसे संशोधित निःशक्तता पेंशन का वास्तविक भुगतान दिनांक केवल 01.01.2006 से संदेय होगा</u>**। <u>दिनांक 01.01.2006 से पहले की अवधि के लिए, सेवा घटक प्रदान किए जाने के आधार पर कोई बकाया स्वीकार्य नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी को बोर्ड आउट के समय संदाय की गई सेवा उपदान की राशि, यदि कोई हो तो उसे, इन आदेशों के फलस्वरूप अर्जित पेंशन के बकायों से समायोजित किया जाएगा।</u>

5. इन आदेशों को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 25/06/2020 के आईडी नोट सं.1(9)/ईवी/2019 के द्वारा जारी किया जाता है।

6. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर लागू, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

7० सभी मंत्रालयों/विभाग एवं संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक प्रभागों से अनुरोध है कि इन निर्देशों की विषयवस्तु को अनुपालनार्थ सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

सीमा गुप्ता
23/7/2020

(सीमा गुप्ता)
निदेशक
दूरभाष-23350012

सेवा में,

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. राष्ट्रपति सचिवालय।
3. उपराष्ट्रपति सचिवालय
4. प्रधानमंत्री कार्यालय।
5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
6. मंत्रिमंडल सचिवालय।
7. संघ लोक सेवा आयोग।
8. एन.आई.सी , वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।